वित्त वर्ष 2017-18 के लिए निवेश प्रचालनों का समवर्ती लेखा परीक्षण आयोजित करने हेतु लेखा परीक्षण फर्म का चयन करने के संबंध में अभिरूचि पत्र

हमारी कंपनी भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की एक अग्रणी साधारण बीमा कंपनी है तथा कंपनी के निवेश प्रचालनों के समवर्ती लेखा परीक्षण आयोजित करने हेतु एक प्रसिद्ध लेखा परीक्षण फर्म चुनने का हमारा प्रस्ताव है। निवेश प्रचालनों का आयोजन प्रत्येक क्षेत्र में सांविधिक कर अनुपालन सहित साधारण बीमा कंपनियों के लिए लागू समय-समय पर जारी भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण और/या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया/सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं अनुदेशों के अनुसार किया जाना जरूरी है।

समवर्ती लेखा परीक्षण कंपनी के प्रधान कार्यालय के प्रत्येक कार्यकारी दिन में करवाया जाना आवश्यक है। समवर्ती लेखा परीक्षण आयोजित करने हेतु संविदा एक वर्ष के लिए वैध होगी तथा इसे पुन: विस्तारित किए जाने हेतु निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर, उसी पारिश्रमिक पर, अधिकतम 2 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

किसी भी लेखा परीक्षण फर्म के चयन हेतु सक्षम प्राधिकरण द्वारा निम्न पात्रता, मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं:-

1. दि चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

2. लेखा परीक्षण फर्म के पास बैंक या म्यूचुअल फंड या बीमा कंपनियों में निवेश समवर्ती लेखा परीक्षण का न्यूनतम 4 वर्षों का अनुभव होना चाहिए या आईआरडीए के एवज में रूपए 1000 करोड़ से अधिक निवेश प्रचालन करने वाली कंपनियों या बीमा कंपनियों के निवेश का निरीक्षण किया जाना चाहिए।

3. आंतरिक/समवर्ती लेखा परीक्षण की अवधि वित्त वर्ष हेतु होगी और यदि वित्त वर्ष के दौरान नियुक्ति की जाती है तो यह वित्त वर्ष के अंत तक होगी।

4. आंतरिक/समवर्ती लेखा परीक्षण की नियुक्ति बीमाकर्ता के मंडल की लेखा परीक्षण समिति द्वारा की जाएगी तथा लेखा परीक्षण प्रत्यक्ष रूप से बीमाकर्ता के मंडल की लेखा परीक्षण समिति को रिपोर्ट करेगा।

5. निवेश का समवर्ती लेखा परीक्षण आयोजित करने के लिए नियुक्ति के दिन, लेखा परीक्षक के पास आंतरिक, समवर्ती और जोखिम प्रबंधन प्रणाली, सभी को मिलाकर, दो से अधिक लेखा परीक्षण नहीं होने चाहिए। अत: लेखा परीक्षण फर्म के पास किसी भी समय, सांविधिक लेखा परीक्षण के अलावा तीन से अधिक परीक्षण (जैसे कि निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणालियों तथा लेखा परीक्षण प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखा, समवर्ती लेखा - सभी को मिलाकर) नहीं होने चाहिए। इस उद्देश्य हेतु नियुक्ति के समय फर्म को इस संबंध में एक घोषणा करनी होगी।

6. लेखा परीक्षण फर्म को आईआरडीए, आरबीआई, सेबी, आईसीएआई सहित किसी भी अन्य विनियामक एजेंसी द्वारा मना/वर्जित न किया गया हो।

7. पहली बार नियुक्त हुए समवर्ती लेखा परीक्षक को अपनी नियुक्ति के तत्काल दो वर्षों के दौरान हमारी कंपनी के निम्न क्षेत्रों का समवर्ती लेखा परीक्षण के रूप में लेखा परीक्षण नहीं करना होगा:-
   1. सांविधिक लेखा परीक्षण
   2. कोई आंतरिक लेखा परीक्षण
   3. कोई समवर्ती लेखा परीक्षण
   4. अन्य कोई भी संबद्ध क्षेत्र चाहे वह लेखा परीक्षण गतिविधियों से संबद्ध हो या न हो।
   5. निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणालियों एवं गतिविधियों का सत्यापन या समीक्षा।

8. कोई भी आंतरिक समवर्ती लेखा परीक्षक किसी भी एक बीमाकर्ता के साथ लगातार तीन वर्ष काम करने या पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन वर्षों तक काम करने के बाद उसी बीमाकर्ता के साथ पुन: नियुक्त करने का पात्र नहीं होगा।

9. लेखा परीक्षण फर्म का एक कार्य दिल्ली में होना चाहिए।

लेखा परीक्षण फर्म का चयन उपरोक्त मापदण्ड के आधार पर होगा। अत: यह अनुरोध है कि संलग्न फार्मेट में भरकर अभिरूचि पत्र, मुख्य प्रबंधक, दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,

तीसरा तल, आंतरिक लेखा विभाग, 4/14-ए, अग्रवाल हाउस, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 के नाम से, दिनांक 30.11.2016 तक 11.30 बजे से 15.30 बजे के बीच किसी भी कार्य दिवस पर दस्ती देने होंगे। **कृपया नोट करें कि कोई भी अभिरूचि पत्र डाक द्वारा या कोरियर द्वारा प्राप्त नहीं किए जाएंगे।**

लेखा परीक्षण फर्मों द्वारा प्रोफार्मा भेजने के बाद उनकी जांच किए जाने के बाद उन्हीं फर्मों को वित्तीय प्रस्ताव हेतु बुलाया जाएबा जो पात्रता के उपरोक्त मापदण्डों को पूरा करते होंगे। अन्य किसी भी प्रकार की पूछताछ हेतु मुख्य प्रबंधक श्री देवेन्द्र पन्त, जिनका फोन नं.011-48638515 है या ईमेल devendrapant@orientalinsurance.co.in पर करें।